

रीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

24/2/25

उक्त पक्ष अनुपस्थित। न्यायालय समय में कई बार आवाज लगवाने के बाद भी कोई हाजिर नहीं आया। अतः वादपत्र/प्रा० पत्र अदम हाजिर एवं अदम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार न. से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

